

राजस्व आवेदन संख्या 74/2021 अनवान नरसिंगाराम बनाम मालाराम


26/08/21

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा सरणू चिमनजी पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 167/50 रकबा 36.10 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार हैं।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा सरणू चिमनजी पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 167/50 रकबा 36.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पन्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के महेनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उप सप्ट अदिकादी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

रीडर/2021/ 3963

दिनांक - 31-8-21

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 नरसिंगाराम 2 कंवराराम
3 कानाराम 4 अमराराम 5
विशनाराम 6 तेजाराम 7
पूनमाराम 8 रूपाराम
पिसरान सोनाराम 9
अणसीदेवी पत्नी सोनाराम
जाति जाट निवासी सरणू
चिमनजी तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 मालाराम पुत्र जगराराम 2 नरसिंगाराम पुत्र रामलाल
3 महादेव पुत्र मूलाराम 4 सोनीदेवी पतनी मूलाराम 5
किशनाराम 6 राकेश 7 तिलोकाराम पिसरान धनराज 8
चतरुदेवी पत्नी धनराज 9 पुरखाराम 9 चुतराराम
पिसरान पदमाराम 12 हडमानराम 13 चणनीदेवी
पिसरान नथाराम 14 चिमाराम 15 नीम्बाराम 16
हरजीराम 17 खेमाराम 18 डूंगराराम 19 जेठाराम
पिसरान पाबूराम 20 कंवराराम पुत्र दुर्गाराम 21
हडमानराम पुत्र उमाराम 22 कानूदेवी पत्नी उमाराम 23
कानाराम 24 चिमाराम 25 भगाराम 26 चैनाराम 27
किशनाराम पिसरान वीरमाराम जाति जाट निवासी सरणू
चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 74/2021

दिनांक- 26/08/21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरणू चिमनजी पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 167/50 रकबा 36.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31-8-21

क्रमांक :- रीडर/2021/ 3964-67

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नरसिंगाराम पुत्र सोनाराम वगैराह जाति जाट निवासी सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मालाराम पुत्र जगराराम वगैराह जाति जाट निवासी सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर